चित्रकूट पुलिस

(1). "मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल- जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा "मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). आज दिनाँक 09.10.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय में जनसुनवाई की गई। इस दौरान पुलिस कार्यालय पहुंचे फरियादियों की समस्याओं एवं शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुनकर उनके शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु संबंधित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
पुलिस अधीक्षक द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध एवं निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा फरियादियों की समस्याओं के समाधान में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। साथ ही शिकायतों के निस्तारण की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करने के भी निर्देश दिए गए।

(3). पुलिस लाइन्स चित्रकूट में शुक्रवार की साप्ताहिक परेड का आयोजन किया गया। परेड में पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा परेड की सलामी ली गयी एवं परेड का निरीक्षण किया गया।
परेड में सम्मिलित समस्त पुलिस बल को शारीरिक व मानसिक रूप से फिट रहने हेतु दौड़ लगवायी गयी तथा अनुशासन व एकरूपता बनाये रखने हेतु टोलीवार ड्रिल करायी गयी।तत्पश्चात आगामी त्यौहारों एवं कानून-व्यवस्था के दृष्टिगत पुलिस बल को बलवा ड्रिल (Anti Riot Drill) का अभ्यास कराया गया। बलवा ड्रिल के दौरान अश्रु गैस, लाठी चार्ज, केन शील्ड, बॉडी प्रोटेक्टर, हेलमेट एवं अन्य दंगा नियंत्रण उपकरणों के प्रयोग का रिहर्सल कराया गया तथा पुलिस बल को टोलियों में बाँटकर भीड़ को नियंत्रित करने एवं तितर-बितर करने की कार्यवाही का अभ्यास कराया गया।
पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी थाना प्रभारियों एवं पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया गया कि अपने-अपने दंगा नियंत्रण उपकरणों को हमेशा अद्यतन एवं कार्यशील दशा में रखें तथा किसी भी आकस्मिक परिस्थिति से निपटने हेतु हमेशा तैयार रहें।
परेड के उपरान्त पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस लाइन्स का भ्रमण कर क्वार्टर गार्द, बैरक, भोजनालय, स्टोर, एमटी शाखा, आरओ प्लांट आदि का निरीक्षण किया गया एवं सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।
इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक श्री पीयूषकान्त राय, , क्षेत्राधिकारी नगर श्री सत्येन्द्र सिंह, प्रतिसार निरीक्षक श्री रामा शीष यादव एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(4). पितृ विसर्जनी अमावस्या मेला को शांतिपूर्ण एवं सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से आज दिनांक 09.10.2026 को मंदाकिनी भवन, सीतापुर में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक श्री पीयूष कांत राय की उपस्थिति में मेला ड्यूटी में लगे समस्त पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की विस्तृत ब्रीफिंग की गई।
ब्रीफिंग के दौरान पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पितृ विसर्जनी अमावस्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदाकिनी नदी में स्नान एवं दर्शन हेतु आते हैं। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था एवं सुगम दर्शन हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी अपने-अपने ड्यूटी स्थल पर समय से तैनात रहकर पूर्ण सतर्कता एवं संवेदनशीलता के साथ ड्यूटी करें। ड्यूटी के प्रति किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए मुख्य निर्देश:

1. सभी पुलिस अधिकारी/कर्मचारी अपने पास वायरलेस हैंडसेट एवं लाउड हेलर अवश्य रखें, जिससे आपात स्थिति में त्वरित संवाद स्थापित किया जा सके।
2. सभी जोनल एवं सेक्टर प्रभारी अपने-अपने क्षेत्रों का लगातार भ्रमण कर ड्यूटी पर तैनात कर्मियों की उपस्थिति एवं कार्यशैली का निरीक्षण करें।
3. स्नान घाटों, मंदिर परिसरों, पार्किंग एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जाए। संदिग्ध व्यक्तियों एवं वस्तुओं पर कड़ी नजर रखी जाए।
4. महिला श्रद्धालुओं एवं बच्चों की सुरक्षा हेतु महिला पुलिसकर्मियों की अतिरिक्त तैनाती की गई है।

5. यातायात को सुगम बनाए रखने के लिए डायवर्जन प्लान का कड़ाई से पालन कराया जाए।

मेला सुरक्षा व्यवस्थाः

मेले को सकुशल संपन्न कराने हेतु सम्पूर्ण पुलिस बल को 03 जोन एवं 10 सेक्टर में विभक्त किया गया है। तैनात बल का विवरण निम्नवत हैः

- अधिकारीगण : 03 पुलिस क्षेत्राधिकारी, 24 प्रभारी निरीक्षक/निरीक्षक, 92 उ0नि0, 118 उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस, 02 उपनिरीक्षक यातायात, 02 उपनिरीक्षक एलआईयू
- कर्मचारीगण : 240 हेड कांस्टेबल/कांस्टेबल नागरिक पुलिस, 89 महिला कांस्टेबल, 24 हेड कांस्टेबल/कांस्टेबल यातायात, 10 हेड कांस्टेबल/कांस्टेबल एलआईयू
- विशेष बल : 01 डॉग स्क्वायड, 01 बीडीएस टीम, 01 एसचेक टीम, पीएसी की 01 कम्पनी, फ्लड कंपनी की 01 प्लाटून

इसके अतिरिक्त सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं जोनल मजिस्ट्रेट के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य किया जाएगा।

इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी नगर श्री सत्येन्द्र सिंह, क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली, क्षेत्राधिकारी कार्यालय श्रीमती करिश्मा गुप्ता, क्षेत्राधिकारी फायर श्री यदुनाथ सिंह, प्रतिसार निरीक्षक श्री राम शीष यादव एवं मेला ड्यूटी में लगे समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

पुलिस अधीक्षक महोदय ने अंत में सभी को निर्देशित किया कि आपसी समन्वय एवं तत्परता के साथ कार्य कर श्रद्धालुओं को सुरक्षित एवं सुखद दर्शन उपलब्ध कराया जाए।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर 02 परिवारो में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया ।

आवेदिका प्रथम पक्ष शबाना उर्फ महरा द्वारा अपने पति सद्दाम उर्फ हुसैन, व प्रथम पक्ष रीना द्वारा अपने पति धनपत के विरुद्ध अतिरिक्त दहेज की मांग करना,लड़ाई झगड़ा,मारपीट,गाली गलौज करने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया था। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा दोनों प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया था। परिवार परामर्श केन्द्र टीम उ0नि0 अनुपमा तिवारी व उनकी टीम द्वारा शिकायतकर्ताओं की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में पारिवारिक सामजस्य बनाकर रहने तथा कर्तव्यों का सही से पालन करने की बात कही गयी । आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़ो को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्रीमती अनुपमा तिवारी प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र
2.महिला मुख्य आरक्षी रजनी सिंह
3.महिला आरक्षी अनामिका सिंह

(6). जिलाधिकारी श्री पुलकित गर्ग तथा पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह ने आज स्टेशन रोड कर्वी, पुरानी बाजार कर्वी में आयोजित हो रही रामलीला स्थलों में साफ सफाई, पेयजल, सुरक्षा व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था आदि का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने रेलवे स्टेशन के रामलीला कमेटी के अध्यक्ष श्री राजीव अग्रवाल एवं गुलाब गुप्ता से व्यवस्थाओं

के बारे में जानकारी की जिसमें कमेटी के अध्यक्ष ने बताया कि यहां पर लगभग 85 वर्ष से रामलीला का आयोजन किया जा रहा है यह रामलीला प्रतिदिन सांयकाल 9 बजे से 12 बजे तक आयोजित की जा रही है रामलीला का समापन दशहरा के दिन होता है रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक का अंग वस्त्र भेज कर स्वागत भी किया गया, इसी प्रकार पुरानी बाजार कर्वी में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद द्वारा बताया गया कि इस वर्ष 165 वां रामलीला महोत्सव का आयोजन नगर पालिका द्वारा कराया जा रहा है, जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका से कहा कि सभी रामलीला स्थानों का अच्छी तरह से साफ सफाई व्यवस्था प्रकाश व्यवस्था सुचारू रूप से रहे इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
तत्पश्चात जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक ने मूर्ति विसर्जन को लेकर बेडी पुलिया स्थित दुर्गादास के तालाब का औचक निरीक्षण किया गया, जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका से कहा कि 15 अक्टूबर तक प्रत्येक दशा में सभी मूर्ति विसर्जन स्थलों की तैयारियां पूर्ण हो जाए वहां पर सिविल वर्क अवश्य करा लिया जाए ताकि मूर्ति विसर्जन के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या ना हो।
निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी न्यायिक श्रीमती कंचन, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद कर्वी श्री राजकिशोर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

(7). पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री अजीत कुमार पाण्डेय, पैरोकार मुख्य आरक्षी अजय कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी,प्रभारी मॉनिटरिंग सेल उ0नि0 श्री कमल किशोर व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्री गोपाल दास द्वारा की गई प्रभावी प्रस्तुति एवं बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट, चित्रकूट श्री राममणि पाठक द्वारा दिनांक 09.10.2026 को मुख्यालय स्तर से पैरवी हेतु चिन्हित थाना मानिकपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 176/2016, धारा 174A भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1. छोटवा उर्फ छोटू उर्फ बुदुवा कोल पुत्र चन्द्रभान कोल, निवासी ग्राम निही, थाना मानिकपुर, जनपद चित्रकूट 2.रजौला उर्फ चौधरी पुत्र शिवमंगल कोल निवासी नौबस्ता थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को 03-03 वर्ष का कारावास एवं 1000/-1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(8). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री राजेश प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी पुष्पेन्द्र यादव द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी सिद्धार्थ सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय जे0एम0 मऊ श्री एस0 आनन्द द्वारा आज दिनाँक 09.10.2026 को थाना मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 255/2022 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त मनकेश पुत्र पप्पू उर्फ कोटरा उर्फ किशोरीलाल निवासी ग्राम बम्बुरा मजरा मण्डौर थाना मऊ जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 2000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

(9). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री नरेश प्रजापति, पैरोकार आरक्षी

शिवम् गुप्ता, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल उ0नि0 श्री कमल किशोर एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्री सनद कुमार मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट चित्रकूट श्री राहुल मिश्रा द्वारा आज दिनाँक 09.10.2026 को थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 167/2022 धारा 08/20 NDPS एक्ट के आरोपी अभियुक्त बड़कू पुत्र ननका निवासी ग्राम रगौली थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को जेल में बिताई गयी अवधि व 1100/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।